उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 25–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2025/20/2009 टी0सी0–III — दिनांकः 22 जनवरी, 2025

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 23.01.2025 को सभी जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभा/आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा जारी पत्र सं0–253/संघर्ष दिनांक 16.01.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म के विरोध में दिनांक 23.01.2025 से सभी जनपदों एवं परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभा/आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–866–24–पी–2–24–1(121)/04, दिनांक 06.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश को ट्रांसकों (मु0) के पत्र संख्या–721–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024, दिनांक 11.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी निदेशकों एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु, अवैधानिक भी है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ०प्र० द्वारा दिनांक 23.01.2025 से प्रस्तावित विरोध सभा/आन्दोलन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत उपकेन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मुकुल सोनकर)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्याः 25(।)-पारे0अनु0-04बी/पाट्राकालि-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अनु सचिव (पारेषण-०4ए), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41 / 557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ – 226001

पत्र सं. – 253 / संघर्ष 16.01.2025

सेवा में,

अध्यक्ष,
उप्र पाकालि / उप्र पाट्राकालि / उप्र रा‌विउनिलि,
लखनऊ।

विषय – पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पत्र सं0 234 / संघर्ष दिनांक 02.12.2024, पत्र सं0 235 / संघर्ष दिनांक 04.12.2024, पत्र सं0 236 / संघर्ष दिनांक 06.12.2024, पत्र सं0 238 / संघर्ष दिनांक 08.12.2024, पत्र सं0 240 / संघर्ष दिनांक 11.12.2024, पत्र सं0 246 / संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 247 / संघर्ष दिनांक 22.12.2024, पत्र सं0 248 / संघर्ष दिनांक 24.12.2024, पत्र सं0 249 / संघर्ष दिनांक 26.12.2024 एवं पत्र सं0 250 / संघर्ष दिनांक 08.01.2025 को संदर्भित करने की कृपा करें।

2. अत्यन्त खेद का विषय है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ 05 अप्रैल 2018 एवं 06 अक्टूबर 2020 को हुए लिखित समझौते का खुला उल्लंघन करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया हेतु 13 जनवरी 2025 को टेण्डर नोटिस प्रकाशित की गयी है जिससे बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियन्ताओं में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

3. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र द्वारा लिये गये निर्णयानुसार हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विद्युत कर्मी किसी भी परिस्थिति में निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि निजीकरण की प्रक्रिया हेतु जारी की गयी टेण्डर नोटिस को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें।

4. हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया हेतु जारी टेण्डर नोटिस को तत्काल निरस्त न किया गया तो बिजली कर्मी 23 जनवरी 2025 को बिडिंग प्रक्रिया का तीव्र विरोध करेंगे जिसका सारा उत्तरदायित्व ऊर्जा निगम प्रबन्धन का होगा।

आदर सहित,

भवदीय

अपर निजी सचिव,
निदे0 (वाणिज्य एवं प्रशा0)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(जितेन्द्र सिंह गुर्जर) महासचिव उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ	(गिरीश कुमार पाण्डेय) महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र	(महेन्द्र राय) मुख्य महामंत्री उप्र बिजली कर्मचारी संघ
(पी के दीक्षित) प्रमुख महामंत्री हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र	(सुहेल आबिद) महामंत्री उप्र बिजली मजदूर संगठन	(राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल) प्रदेश अध्यक्ष उप्र विद्युत मजदूर संघ

(मोहम्मद वसीम)
केन्द्रीय महासचिव
रा.वि.प.प्राविधिक कर्मचारी संघ, उप्र

(छोटे लाल दीक्षित)
प्रान्तीय अध्यक्ष
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उप्र

(आर वाई शुक्ला)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन, उप्र

(योगेन्द्र कुमार)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उप्र

(विशम्भर सिंह)
महामंत्री
यूपी बिजली इम्प. यू. उप्र(सीटू)

(राम सहारे वर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उप्र

(पी एस बाजपेयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन

(रफीक अहमद)
महामंत्री
बिजली मजदूर यूनियन उप्र
(एचएमएस)

(देवेन्द्र पाण्डेय)
महामंत्री
उप्र पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा
कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उप्र सरकार, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. उपश्रमायुक्त, लखनऊ।

क्रम-संख्या-212

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 7 दिसम्बर, 2024

अग्रहायण 16, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या 888/24-पी-2-2024-1([illegible])-24

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

आदेश

[illegible]

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदया विगत में जारी अधिसूचना संख्या 814/24-पी-2-2024, दिनांक 4 जुलाई, 2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा और 9-UP Renewable and EV Infrastructure Ltd., लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करती हैं;

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदया आगे निर्देश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाए।

आज्ञा से,

[illegible] कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/XXIV-P-2–2024-1(121)–04, dated December 6, 2024 :

No. 866/XXIV-P-2–2024-1(121)–04

Dated Lucknow, December 6, 2024

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no. 814/XXIV-P-2–2024, dated July 4, 2024 is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable and EV Infrastructure Ltd., Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the Section 3 of the said Act, that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
SARVESH KUMAR SINGH,
Sanyukt Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 375 राजपत्र–2024–(830)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 13 सा० ऊर्जा–2024–(831)–400 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
375 RPH 2024 (Urja Anubhag-2) ([illegible]) Data [illegible]

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/24-P-2-2024-1(121)/04, Dated 06.12.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No 866/24-P-2-2024-1(121)/04
Lucknow Dated 06.12.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor by Superseding the Previous Notification No.814/24-P-2-24 Dated 04.07.2024 is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

SARVESH KUMAR SINGH
JOINT SECRETARY

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

पत्रांक सं0 721-परि0अनु0-04/पाटाकालि/2024
पत्रावली सं0........................
क0सं0........................

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या-814/24-पी-2-2024, दिनांक 04.07.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० लखनऊ 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd. लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

Dir(PM), UNC/TLL

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 07.12.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियाँ ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0

No. 2855 ... MD/UPPTCL
Date 9.12.24

[illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी [illegible] [illegible] कष्ट करें।

(7) सूचना निदेशक उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश का [illegible] रूप से प्रकाशित [illegible] [illegible] करें।

(8) [illegible]-1।

(9) [illegible] कानपुर।

(10) [illegible] कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को) कानपुर।

(11) [illegible] विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ

(12) [illegible] पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी।

(13) [illegible] पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ।

(14) प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० आगरा।

(15) [illegible] अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग 1/3/ऊर्जा निजी [illegible] प्रकोष्ठ।

आज्ञा से

(सत्य [illegible] सिंह)

[illegible] सचिव।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 721–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024/20/2009 टी0सी0–।।। दिनांकः 11 दिसम्बर, 2024

समस्त निदेशक,

समस्त मुख्य अभियन्ता,

(पारेषण/जानपद),

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,

लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय– ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत 06 माह के लिये हड़ताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या–866/24–पी–2–24–1(121)/04, दिनांकः 06 दिसम्बर, 2024 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शासन ने ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में उक्त आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध की है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्याः 721 (।)–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेश्न लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)